.... बनाम ....

.... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
31/7/25 –	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी राज. कार्य से मीटिंग शिविर मुख्यालय से बाहर है पत्रावली पूर्ववत दि. 24/9/2025 को पेश हो।	
24/9/25 –	पत्रावली पेश हो वकील पक्षकारान उप०। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की ओर से जवाब प्रा० पत्र पेश किया। शी० पत्रावली हो मिसल बास्ते बहस में प्रा० दिनांक 21/11/25 को पेश हो।	
21/11/25 –	पत्रावली पेश हो वकील पक्षकारान उप०। बहस सुनी गई। मिसल बास्ते आदेश में प्रा० दिनांक 5/12/25 को पेश हो।	
05/12/2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में उभयपक्ष बहस सुनी गई थी विगत तारीख पेशी पर। अतः आज पत्रावली में प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर फैसला सुनाया गया। प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। उभयपक्ष बहस के जो कि विगत तारीख पेशी पर हुई थी के विवेचन को आदेशिका के आगामी पृष्ठ पर वर्णित करते हुए तीनों बिंदु प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन के	

.... बनाम ....

बउनवान ....

धारा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आधार पर निर्णीत किया गया। सामान्य लोकहित को भी ध्यान रखा गया। निर्णय इस प्रकार है — उभयपक्ष बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि 03.07.2023 को प्रा0पत्र प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 47 रकबा 0.52है0 तथा 47/1364 रकबा 0.45है0 है। अप्रार्थी द्वारा पक्के रास्ते डामरीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है जो कि ग्राम पीपल्दा खुर्द से ग्राम नलावता की झोपडिया जाने वाले आम रास्ते की भूमि पर बनाया जाना है। प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि में भी यह कार्य हेतु साफ–सफाई शुरू कर दी है। अप्रार्थी द्वारा बिना सीमाज्ञान कराये प्रार्थी की आराजी पर सडक निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। जो कि अविधिक है क्योंकि प्रार्थीगण की आराजी को बिना अवाप्ति के सडक निर्माण में उपयोग में लिया जा रहा है। अगर सडक निर्माण प्रार्थी की भूमि में होगा तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अप्रार्थी ने जवाब दिया कि रास्ता कच्चा रास्ता है जिसे वर्षो से उपयोग में लिया जा रहा था जिसको ग्रामवासी नलावता की झोपडिया वाली मांग पर प्रचलित रास्ते का डामरीकरण कर दिया गया तथा डामरीकरण के दौरान किसी भी निजी भूमि का उपयोग नहीं किया गया तथा रास्ता प्रार्थी के खेत के पास स्थित सरकारी रास्ते पर किया गया। उभयपक्ष पर बहस पर मनन किया गया। चूंकि सडक निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा प्रा0 पत्र के दर्ज कराने के उपरांत प्रार्थी द्वारा अर्जेट नेजर का हवाला देते हुए कभी त्वरित सुनवाई का आग्रह भी नहीं किया। सडक निर्माण यदि सरकारी भूमि पर होता तो यह आमजन के हित में कनेक्टिविटी में सुधार हेतु उपयोगी मूलभूत आवश्यकता व इन्फ्रास्ट्रकचर है। प्रार्थी अपूर्णीय क्षति के बिन्दु को प्रमाणित करने में असफल रहा। इसलिए प्रा0 पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम जाकर दाखिल दफ्तर हो।